पत्रांक........../

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

Email Id: edu.jharkhand@gov.in, hrdjharkhand@gmail.com

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के प्रभारी सचिव।

सेवा में,

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
राज्य परियोजना निदेशक, जे.ई.पी.सी.।
निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी.।
झारखण्ड, रांची।

राँची, दिनांक :................

विषय : **विभागीय सचिव की अनुमति प्राप्त कर ही महत्वपूर्ण निदेश निर्गत करने एवं राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने के संबंध में।**

महाशय,

विभागीय समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि निदेशालय स्तर से सीधे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को कई प्रकार के महत्वपूर्ण निदेश बिना विभागीय सचिव की अनुमति/संज्ञान में दिये वगैर ही निर्गत किये जा रहे है, जो अत्यंत खेदजनक है।

अतः निदेशित किया जाता है कि किसी कार्यक्रम के संचालन, प्रशिक्षण का आयोजन, जिला स्तरीय पदाधिकारियों की राज्य स्तर पर बैठक आहूत करने, जिला स्तरीय पदाधिकारियों की Virtual Meeting आयोजित करने आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विभागीय सचिव की अनुमति प्राप्त करने/संज्ञान में लाने के उपरांत ही अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

इस आदेश का अक्षरशः पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांकः ...80.../स.को. राँची, दिनांकः 14.06.2024

प्रतिलिपिः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/06/24

सरकार के प्रभारी सचिव।